न्यायालय मान. राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 निगरानी R - 2099 - III/13

श्रीमती सरला देवी पत्नि स्वर्गीय मुकुटविहारी
जाति कायस्थ निवासी ग्राम रायपुर तहसील
ईसागढ़ जिला अशोकनगर —आवेदिका

विरूद्व

कलेक्टर जिला अशोकनगर —अनावेदक

{ निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 सहपठित राजस्प पुस्तक परिपत्र चार–4 – श्रीमान कलेक्टर जिला अशोकनगर व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 277/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.1.2013 के विरूद्व }

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के कारण

यह कि ग्राम रायपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 10/6 रकबा 0.836 पर आवेदिका का कब्जा लम्बे समय से होने के आधार पर नायव तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 47अ 19/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 26.6.1995 से भूमिस्वामी अधिकार प्रदान कर भूमिस्वामी घोषित किया गया, तभी से आवेदिका इस भूमि को उन्नत कृषि योग्य बनाकर खेती करते एंव एंव पति के स्वर्गवास हो जाने से परिवार का भरण पोषण करती आ रही है।

यह कि आवेदिका पर्दानसीन महिला है जिसे बिना सुने बिना एंव बचाव का मौका दिये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने एकपक्षीय जांच करके प्रतिवेदन कलेक्टर अशोकनगर को प्रस्तुत कर दिया एंव कलेक्टर अशोकनगर ने भूमि व्यवस्थापन को 16 वर्ष उपरांत अनुचित विलम्ब से आवेदिका को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 30.1.13 (स्थानान्तर पर रिलीव्ह होने के पूर्व बैक डेट में) पारित करके नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्व अभिभाषक ने त्रृटि करके अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी, जो सुनवाई के अधिकार न होने के आधार पर प्रकरण कमांक 420/12–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–4–13 से निरस्त की गई, जिसके विरूद्व समयावधि में यह निगरानी श्रीमान न्यायालय में सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2099—तीन / 2013 जिला—अशोकनगर

श्रीमती सरला देवी विरूद्ध कलेक्टर अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 277 / स्व.निगरानी / 2006—07 में पारित आदेश दिनांक 30—01—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05—11—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	